न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री राजेन्द्र पुत्र किशन भाई, जाति ब्राहमण, निवासी बी.–78, श्रीजी बंगलोज सनफार्मा रोड़, कलाली रेल्वे क्रोसिग के पास अढलादरा बड़ौदा (गुजरात) व अन्य – 7		श्री सुनिल कुमार पुत्र जयदयाल, जाति अग्रवाल, निवासी हिललॉक होटल के सामने, मांच गांव, आबूपर्वत व अन्य – 1

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2023

दिनांक 17/10/2025

आदेश

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की निम्न वर्णित कृषि भूमि मौजा ग्राम मांचगांव, पटवार हल्का आबूपर्वत तहसील देलदर में स्थित है :–

खाता संख्या		खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
नया	पुराना			
124	122	111	0.0379	बा.–1
कुल खसरे		01	0.0379 हैक्टेयर	

खाता संख्या		खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
नया	पुराना			
27	68	112	0.0379	बा.–1
		113	0.0759	बा.–1
		114	0.1265	बा.–1
		115	0.1012	बा.–1
		116	0.0632	बा.–1
कुल खसरे		05	0.4047 हैक्टेयर	

खाता संख्या		खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
नया	पुराना			
125	123	119	0.1265	पड़त 111
कुल खसरे		01	0.1265 हैक्टेयर	

खाता संख्या		खसरा नंबर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म
नया	पुराना			
126	124	120	0.0379	चाही–2
		121	0.0759	चाही–2
		123	0.0759	चाही–2
कुल खसरे		03	0.1897 हैक्टेयर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.12.12 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की [illegible] भूमि से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी व कब्जे काश्त की खसरा संख्या 109 [illegible] 0.1012 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है, जिस भूमि से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु [illegible] बनी हुई है, जो आगे [illegible] शमशान जाने वाली मुख्य सड़क से जोड़ती है। यह कि प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित अलग [illegible] नम्बरान की कृषि भूमि से शमशान जाने वाली मुख्य सड़क तक आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि से लगती अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 109

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत

की कृषि भूमि में से होकर शमशान जाने वाली मुख्य सड़क तक पहुंचते थे एवं अपने वाहन आदि भी इसी रास्ते से लाते ले जाते थे। जिस खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि से प्रार्थीगण की कृषि भूमि से प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व उनके परिवारजन अपने पूर्वजो के समय से शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा व ऐतराज के करते चले आ रहे थे, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने अवैध रूप से बंद कर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कर बड़ा लोहे का गेट लगाकर प्रार्थीगण के आसान व सुलभ मार्ग को पूर्णतया अवरूद्ध कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण की वर्णित कृषि भूमि से शमशान जाने वाली मुख्य सड़क तक स्वयं के आवागमन एवं उनके कृषि यंत्रो , फसल एवं वाहनो को लाने, ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की खसरा संख्या 109 की कृषि भूमि में से न्युनतम 30 फुट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र को दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करे। नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थीगण व उनके परिजन खसरा संख्या 108 की भूमि में से बने एप्रोच रोड से होकर मुख्य सड़क तक आते जाते रहे है, जो रास्ता आज भी विद्यमान है। कि खसरा 109 व उसके आसपास की भूमि जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है, आबूपर्वत के आबादी क्षेत्र में स्थित है। तथा नगरपालिका आबूपर्वत के क्षेत्राधिकार में आती है तथा उसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान में इंटीग्रेटेड टूरिस्ट कोम्पलेक्स प्रयोजनार्थ भू उपयोग के लिए सेट अपार्ट किया गया है। कि मौके पर प्रार्थीगण का कोई कदीमी रास्ता खसरा संख्या 109 में से होकर नही है, अपितु उक्त रास्ता खसरा संख्या 108 की भूमि में से होते हुए खसरा संख्या 110 व प्रार्थीगण के खसरा संख्या 111 के पश्चिमी कोने को छुता हुआ प्रार्थीगण के खसरा संख्या 114 के पश्चिमी कोने तक जाता है जिस पर से प्रार्थीगण का सुलभ आवागमन पूर्व से होता रहा है। कि खसरा संख्या 109 के चारों ओर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वर्ष 2001 में बाउन्ड्री वॉल बनाकर उसे बंद कर दिया गया था, उस पर कभी किसी का आवागमन नहीं रहा है ऐसे में लगभग 23 वर्ष बाद प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र म्याद बाहर है।

स्टेट ने अपने जवाब में अंकन किया कि खसरा नंबर 109 श्री सुनील कुमार के नाम दर्ज रेकर्ड है, जिसकी चारदीवारी निर्मित है। कि मुख्य सड़क खसरा नम्बर 255 से जोड़ने हेतु खसरा नम्बर 107 गै.मु. नाला, खसरा नंबर 108 खातेदार पूर्व हिजहाइनेस की खातेदारी भूमि व खसरा नंबर 109 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है, परन्तु इसमें खसरा नंबर 107 नगरपालिका व खसरा नंबर 108 पूर्व हिजहाइनेस को पार्टी नही बनाया गया है। मौका फर्द दिनांक 04.03.2024 में अंकन है कि अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थीगण वर्तमान में कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 107 नाले पर निर्मित पुल पर से खसरा नंबर 108 में से होकर खसरा नंबर 110 में से होकर खसरा नंबर 111 में जाता है। जो मौके पर चालू है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया।

धारा 251 ए के अंतर्गत 2 बिन्दु मुख्यतः विचारणीय है –

प्रार्थीगण को रास्ता धारा 251 ए के अंतर्गत तभी दिया जा सकता है जब उसे उस रास्ते की परम आवश्यकता हो एवं उसके पास कोई विकल्प उपलब्ध नही हो केवल सुविधा के लिये नही दे सकते है।

प्रार्थीगण वर्तमान में कृषि कार्य हेतु खसरा नंबर 107 नाले पर निर्मित पुल पर से खसरा नंबर 108 में से होकर खसरा नंबर 110 में से होकर खसरा नंबर 111 में जाता है। जो मौके पर चालू है। मुख्य सड़क खसरा नम्बर 255 से जोड़ने हेतु खसरा नम्बर 107 गै.मु. नाला, खसरा नंबर 108 खातेदार पूर्व हिजहाइनेस की खातेदारी भूमि व खसरा नंबर 109 अप्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है, परन्तु इसमें खसरा नंबर 107 नगरपालिका व खसरा नंबर 108 पूर्व हिजहाइनेस को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम परिपोषनीय नही होने से खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshu Priya
Date: 2025.12.12 17:04:04 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.
सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)